

रेलवे स्टेशनों, कोचिंग डिपो, कार्यशालाओं और उत्पादन इकाइयों में उत्पन्न अपशिष्ट जल का प्रबंधन

लेखापरीक्षा उद्देश्य 3

क्या बहिःसाव/सीवेज उपचार, जल पुनर्चक्रण और स्वचालित कोच धुलाई के माध्यम से उत्पन्न अपशिष्ट जल का प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है

भारतीय रेल ने यात्री और माल ढुलाई यातायात की मात्रा के प्रबंधन के लिए स्टेशनों, कोचिंग डिपो, कार्यशालाओं, रखरखाव शेड और उत्पादन इकाइयों (पीयू) की भारी अवसंरचना का सृजन किया है। स्टेशनों पर यातायात के संचालन और रोलिंग स्टॉक के रखरखाव से संबंधित गतिविधियों के लिए न केवल जल के व्यापक उपयोग की आवश्यकता होती है, बल्कि इससे भारी मात्रा में अपशिष्ट जल भी उत्पन्न होता है।

ताजा और अपशिष्ट जल के बेहतर प्रबंधन के लिए रेलवे का उद्देश्य 'कमी', 'पुनः उपयोग' और 'पुनर्चक्रण' की नीति का पालन करना है। इस पहलू को भारतीय रेल जल नीति, 2017 में प्रमुखता से रखा गया है जिसमें जल की दुर्लभता एवं अन्य बातों के साथ-साथ जल के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर दिया गया है।

इस नीति (जल नीति, 2017) के अनुसार रेल प्रशासन द्वारा ऐसे जल उपयोग में कमी के साथ-साथ कम अपशिष्ट जल के उत्पादन के लिए, एफ्लुएंट/सीवेज परिवहन संयंत्र (ईटीपी/एसटीपी), जलपुनःचक्रण संयंत्र (डब्ल्यूआरपी) और स्वचालित कोच वाशिंग संयंत्र (एसीडब्ल्यूपी) की व्यवस्था की जानी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने यह भी निर्देश दिया (2 जून 2020) कि सभी जोन को अपशिष्ट जल उत्पादन में कमी करने के लिए और सीवेज और गैर-सीवेज अपशिष्ट जल की गुणवत्ता की अलग से पहचान करने के लिए भी उपाय करने चाहिए और तदनुसार अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण संयंत्रों की योजना बनानी चाहिए।

स्टेशनों, कोचिंग डिपो, कार्यशालाओं, रखरखाव शेडों और उत्पादन इकाइयों में अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए भारतीय रेल द्वारा किए गए प्रयासों की प्रभावकारिता और दक्षता का निर्धारण किया गया और देखी गई कमियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.1 एफ्लुएंट/सीवेज उपचार संयंत्र (ईटीपी/एसटीपी) का प्रावधान/योजना बनाना, चालू करना और कार्यचालन

जैसा कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 24 में निर्धारित है, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी जहरीले, हानिकारक या प्रदूषणकारी

पदार्थ को किसी धारा, कुएं, सीवर और भूमि में इसे ट्रीट किए बिना प्रवाहित करने की अनुमति नहीं देगा। कार्यशालाओं, शेड और उत्पादन इकाइयों में गतिविधियां अपशिष्ट तेल, रसायन, कीचड़, अपशिष्ट ग्रीज़ आदि जैसे प्रवाह उत्पन्न करती हैं।

जल अधिनियम के तहत परिचालन के लिए अनुमति (सीएफओ) से संलग्न विशेष शर्त के अनुसार सीवर/अपशिष्ट निकायों में विसर्जन से पहले एफ्लुएंट के उपचार के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) का प्रावधान करना जरूरी है। इसी प्रकार, रेलवे स्टेशनों और कोचिंग डिपो में उत्पन्न एफ्लुएंट के उपचार के लिए रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विचार को ध्यान में रखते हुए ईटीपी स्थापित करने के लिए, जहां भी आर्थिक रूप से वांछनीय माना गया है, प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश⁵⁶ दिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिनांक 18 मार्च 2015 के अपने आदेश में रेलवे प्राधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि स्टेशनों और कोचिंग डिपो/यार्ड पर उत्पन्न होने वाले एफ्लुएंट को भूजल में रिसने न पाये और ऐसे एफ्लुएंट को सभी प्रमुख स्टेशनों के नज़दीक स्थित ईटीपी/एसटीपी में प्रवाहित होना चाहिए। इन आदेशों के अनुपालन में रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को प्रमुख स्टेशनों के नज़दीक ईटीपी/एसटीपी स्थापित करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश⁵⁷ दिए थे (30 अप्रैल 2015)।

लेखापरीक्षा ने चयनित 102 प्रमुख स्टेशनों, 30 कोचिंग डिपो और 101 कार्यशाला/शेड/उत्पादन इकाइयों पर ईटीपी/एसटीपी के प्रावधान के लिए किए गए उपायों की प्रभावकारिता की जांच की और निम्नलिखित कमियाँ पायी गई:-

1. 40 कार्यशाला/शेड और 19 कोचिंग डिपो में नियोजित ईटीपी/एसटीपी कार्य नहीं कर रहे थे।
2. मार्च 2020 को 87 स्टेशनों पर ईटीपी/एसटीपी कार्य नहीं कर रहे थे।

ऊपर दी गई स्थिति से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अपशिष्ट जल के निर्वहन से पहले उपचार की वैधानिक आवश्यकता को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि ईटीपी/एसटीपी की स्थापना उस नियोजित से कम हो गई और कई स्थापित ईटीपी/एसटीपी गैर-कार्यात्मक रह गए। उपलब्ध कराए गए अभिलेखों ने ईटीपी/एसटीपी (पर्यावरण संबंधी कार्यों का हिस्सा) की स्थापना को रोकने के लिए निधि की कमी का संकेत नहीं दिया। पैरा 4.5 में पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए निधियों का उल्लेख है जो ऐसे कार्यों पर धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रह गए हैं। भूजल/जल निकायों के प्रदूषण के साथ-साथ ताजे पानी के उपयोग में कमी की पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान नहीं किया गया। तथापि, यह देखा गया कि नमूना

⁵⁶ पत्र सं.99/एलएमबी/9/25 दिनांक 22-12-1999

⁵⁷ पत्र सं.2015/पर्यावरण/01/03 दिनांक 30.04.2015

जांच की गई सभी उत्पादन इकाइयों में ईटीपी/एसटीपी उपलब्ध कराए गए थे और वे कार्यशील अवस्था में पाए गए थे।

4.2 स्टेशनों, कोचिंग डिपो, कार्यशालाओं, शेड और उत्पादन इकाइयों में प्रदान किए गए ईटीपी/एसटीपी से निस्तारण किए गए एफ्लुएंट/कीचड़ का विश्लेषण

जल अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुपालन में रेलवे स्टेशनों, कोचिंग डिपो, कार्यशालाओं, शेड और उत्पादन इकाइयों से निकलने वाले एफ्लुएंट को नगरपालिका की सीवेज लाइनों या निचले क्षेत्रों/भूमि पर इसके निस्तारण से पहले ईटीपी/एसटीपी में उपचारित किया जाना



पश्चिम रेलवे में रतलाम मंडल में लोको एंड कैरिज एंड वैगन कार्यशाला- दाहोद में निपटान किए बिना पड़ा ईटीपी कीचड़

होता है। जल अधिनियम के तहत परिचालन के लिए सहमति (सीएफओ) से संलग्न विशेष शर्तों के अनुसार, एफ्लुएंट निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए; इसलिए ईटीपी/एसटीपी में उपचार से पहले और बाद में विश्लेषण किया जाना चाहिए। ईटीपी/एसटीपी से कीचड़ को कीचड़सुखाने वाले बिस्तरों में सुखाया जाना चाहिए और इसके निपटान पद्धति को तय करने के लिए ऐसे सूखे कीचड़ का परीक्षण किया जाना चाहिए। ऐसे एफ्लुएंट और कीचड़ के सुपुर्दगी/निपटान से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए इस प्रकार का विश्लेषण/परीक्षण निर्धारित किया गया है।

रेलवे स्टेशनों, कोचिंग डिपो, कार्यशालाओं, शेड और उत्पादन इकाइयों में प्रदान किए गए ईटीपी/एसटीपी में एफ्लुएंट/कीचड़ की सुपुर्दगी/निपटान की प्रक्रिया की प्रभावोत्पादकता की जांच से निम्नलिखित का पता चला:-

- i. ऐसी इकाइयों से तरल अपशिष्ट निस्तारण का विश्लेषण 40 इकाइयों में उपचार से पहले नहीं किया गया था।
- ii. ऐसे ईटीपी/एसटीपी से उपचारित एफ्लुएंट का विश्लेषण 14 इकाइयों में नहीं किया गया था।
- iii. 12 इकाइयों के मामले में प्रदान किए गए ईटीपी/एसटीपी के पास पर्याप्त कीचड़ सुखाने वाले बिस्तर उपलब्ध नहीं थे।
- iv. 53 इकाइयों में, ईटीपी/एसटीपी से उत्पन्न कीचड़ की इसकी निपटान विधि का पता लगाने के लिए जांच नहीं की गयी थी।

इस प्रकार, ईटीपी/एसटीपी से उत्पन्न कीचड़ का निपटान स्थापित मानदंडों के अनुसार अनिवार्य जांच के बिना किया गया था।

4.3 जल पुनःचक्रण संयंत्रों (डब्ल्यूआरपी) का प्रावधान

जल पुनःचक्रण औद्योगिक, आवासीय, नगर निगम के स्रोतों से पुनः दावा करने को पुनः उपयोग के लिए अपशिष्ट जल को टीट करके और शुद्ध करके अपशिष्ट जल का संदर्भित करता है। उपचार की सीमा के आधार पर, पुनः दावा किए गए जल का उपयोग निकृष्ट सेवाओं जैसे कोच धोने, प्लेटफार्म एप्रन की सफाई, बागवानी आदि के लिए किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे से निर्देश⁵⁸ (जुलाई 2008 और अगस्त 2008) दिया कि वह ऐसे स्टेशनों और शेडों में डब्ल्यूआरपी उपलब्ध कराए जहां जल की कमी है और जल की मांग अधिक है। रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्येक जोन में एक ए1 श्रेणी के स्टेशन पर डब्ल्यूआरपी के प्रावधान पर जोर⁵⁹ दिया (मार्च 2015) गया था। रेलवे बोर्ड ने विशेष रूप से कहा (दिसंबर 2015) कि डब्ल्यूआरपी का प्रावधान सभी प्रमुख स्टेशनों पर लागू किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में 102 चयनित प्रमुख स्टेशनों में डब्ल्यूआरपी के प्रावधान की प्रास्थिति की जांच की गई। निर्देश दिए जाने के 10 वर्ष से अधिक बीत जाने के बावजूद, नमूना जांच किए गए 102 में से 86 प्रमुख स्टेशनों में डब्ल्यूआरपी का प्रावधान मार्च, 2020 तक पूरा नहीं हुआ था। इस प्रकार, ताजा जल के उपयोग को कम करने के ऐसे महत्वपूर्ण पहलू, जिससे जल संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा मिला, पर रेलवे प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया।

रेल मंत्रालय के अनुरोध पर भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह भी पता चला (2019) कि उनके अध्ययन में शामिल 720 स्टेशनों में से केवल 25 प्रतिशत स्टेशनों में जल संरक्षण उपायों और जल सुधार का प्रावधान था। क्यूसीआई के अध्ययन में शामिल नौ प्रतिशत स्टेशनों पर जल सुधार/अपशिष्ट जल उपयोग उपलब्ध था। यह इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों (2008) के बावजूद जल संरक्षण के पहलू पर खराब प्रतिक्रिया का संकेत है।

4.4 कोचिंग डिपो और कार शेड में स्वचालित कोच वाशिंग संयंत्र (एसीडब्ल्यूपी) का प्रावधान

स्वचालित कोच वाशिंग प्लांट (एसीडब्ल्यूपी) कोचों/ट्रेनों के लिए एक बहुस्तरीय बाहरी सफाई प्रणाली है, जिसमें दबाव वाले साबुन के साल्युशन और जल के जेट का उपयोग करके एक रेक में कोचों के पूर्ण बाहरी हिस्से को साफ करने के लिए रोटेटिंग नायलॉन और कॉटन कंसाइनेशन ब्रश का उपयोग किया जाता है, जबकि कोचिंग डिपो की पिट-लाइन पर इसे रखा गया हो। एसीडब्ल्यूपी के उपयोग से ताजा जल की खपत को कम करने के साथ-साथ कम अपशिष्ट जल के उत्पादन में मदद मिलती है

⁵⁸ पत्र सं.2006/एलएमबी/09/01 दिनांक 19.07.2006 और 04.08.2008

⁵⁹ पत्र सं.2015/एलएम (पीए)/08/08डब्ल्यूआरपी दिनांक 04.03.2015

जिसके परिणामस्वरूप जल का संरक्षण होता है। रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को सभी प्रमुख कोचिंग डिपो और कार शेड पर प्राथमिकता के आधार पर एसीडब्ल्यूपी उपलब्ध कराने के निर्देश⁶⁰ दिए (अक्टूबर 2017)। भारतीय रेल जल नीति, 2017 में एसीडब्ल्यूपी के प्रावधान के पहलू पर भी जोर दिया गया। कोचिंग डिपो/कार शेड में 2017-2020 के बीच 63 एसीडब्ल्यूपी का प्रावधान संस्वीकृत किया गया था। हालांकि, काम की प्रगति बहुत धीमी थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

- i. केवल नौ मामलों में एसीडब्ल्यूपी उपलब्ध कराने का कार्य मार्च 2020 तक पूरा हुआ था।
- ii. 43 मामलों में एसीडब्ल्यूपी उपलब्ध कराने पर कार्य बिल्कुल शुरू नहीं हुआ।
- iii. आठ मामलों में अभी कार्य चल रहा है।
- iv. पश्चिम रेलवे के तीन मामलों में कार्य की प्रगति की पुष्टि करने के लिए अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार, कार्य की प्रगति से यह स्पष्ट है कि जल संसाधनों के संरक्षण के लिए इस तरह के एक प्राथमिकता वाले कार्य पर अपेक्षित प्रयास में गंभीरता का अभाव था। ताजा जल की खपत को कम करने और अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण के परिणामी लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके।

4.5 पर्यावरण संबंधी कार्यों (इआरडब्ल्यू) के लिए सृजित निधियों से संस्वीकृत अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित कार्यों की प्रगति

स्वच्छ पर्यावरण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता और पर्यावरणीय प्रभाव के शमन के प्रति विभिन्न सांविधिक दायित्वों का अनुपालन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, रेलवे बोर्ड ने पीएच-17 (कंप्यूटरीकरण) को छोड़कर सभी योजना प्रमुखों के लिए कार्य अनुमानों के एक अभिन्न भाग के रूप में पर्यावरण संबंधी कार्यों (ईआरडब्ल्यू) को शामिल करने का निर्णय⁶¹ लिया। इआरडब्ल्यू के लिए प्रावधान एक मद के रूप में या एकमुश्त आधार (कार्य की लागत के 1 प्रतिशत के बराबर) पर किया गया था। ईआरडब्ल्यू के लिए एकमुश्त प्रावधान के उद्देश्य से ईबीआर (आईएफ) के प्रभार्य कार्यों को बाहर रखा जाना था। इन चिन्हित कार्यों को जोन/डिवीजन/पीयू के इएनएचएम विंग द्वारा समन्वित/प्रबंधित किया जाना है और ऐसे कार्यों को सामान्यतया दो वर्षों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। ईटीपी/एसटीपी, डब्ल्यूआरपी, एसीडब्ल्यूपी, कंपोस्ट में अपशिष्ट, उर्जा संयंत्रों में अपशिष्ट आदि जैसे अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कुछ

⁶⁰ पत्र सं.2001/एम1/141/1 खंड-1 दिनांक 20.04.2010 and 27.10.2017

⁶¹ पत्र सं.2016/ईएनएचएम/13/02 दिनांक 13.05.2016

मदों को ईआरडब्ल्यू की निर्दिष्ट सूची में शामिल किया गया था। चूंकि जोनल रेलवे में इआरडब्ल्यू की प्रगति धीमी रही है, इसलिए रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को अधिक गंभीर प्रयास करने और कार्यों को शीघ्र पूरा करने को सुनिश्चित करने के निर्देश⁶² दिए (मार्च 2020)।

ईआरडब्ल्यू के तहत संचित निधियों के उपयोग पर स्थिति की समीक्षा से पता चला कि उद्देश्य के लिए सृजित निधियों का समीक्षाधीन अवधि के दौरान 53 प्रतिशत की सीमा तक उपयोग नहीं किया गया जैसा कि तालिका 4.1 में दर्शाया गया है:-

तालिका 4.1 ईआरडब्ल्यू के तहत अप्रयुक्त संचित निधियों को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान ईआरडब्ल्यू के लिए संचित निधियाँ	वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई निधि	वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त रह गई निधियाँ	अप्रयुक्त निधियाँ (प्रतिशत में)
2015-16	0.48	0.00	0.48	100.00
2016-17	24.90	2.96	21.94	88.11
2017-18	83.74	30.21	53.53	63.92
2018-19	208.53	108.67	99.86	47.89
2019-20	285.17	137.86	147.31	51.66
कुल	602.82	279.70	323.12	53.60

पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए निर्मित निधियाँ पर्यावरण संबंधी कार्यों के पूर्ण होने की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रहीं, जैसा कि नीचे तालिका 4.2 में दर्शाया गया है:-

तालिका 4.2- ईआरडब्ल्यू निधियों के तहत निर्माण कार्यों की प्रगति (अनुलग्नक 4.1)

विवरण	संस्वीकृत संख्या	स्थान	संस्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	पूर्ण होने की स्थिति (मार्च 2020)
ईटीपी/एसटीपी का प्रावधान	87	11 ज़ोन	83.17	26 (30 प्रतिशत)
डब्ल्यूआरपी का प्रावधान	54	13 ज़ोन	66.62	नौ (16 प्रतिशत)
खाद के लिए अपशिष्ट का प्रावधान	93	14 ज़ोन	20.59	30 (32 प्रतिशत)
ऊर्जा संयंत्र के लिए अपशिष्ट	5	04 ज़ोन	4.91	दो (40 प्रतिशत)

⁶² पत्र सं. 2016/ईएनएचएम /13/02 दिनांक 12.03.2020

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पर्यावरण संबंधी निर्माण कार्यों के शीघ्र निष्पादन के लिए ईआरडब्ल्यू निधि के निर्माण का पूरा प्रयोजन ही रेलवे अधिकारियों की ओर से मॉनिटरिंग के अभाव के कारण विफल हो गया था। परिणामतः इन पर्यावरण संबंधी निर्माण कार्यों से प्राप्त होने वाले परिकल्पितलाभ प्राप्त नहीं हुए। इन स्थानों पर अपशिष्ट जल प्रबंधन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

4.6 निष्कर्ष

रेलवे में पानी का प्रयोग स्टेशनों पर तथा कारखानों, शेड आदि इकाइयों में होता है। पानी के उपयोग में कमी और बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए भारतीय रेल की जल नीति के अनुसार ईटीपी/एसटीपी/डब्ल्यूआरपी/एसीडब्ल्यूपी के लिए प्रावधान की परिकल्पना की गई थी। एनजीटी ने यह भी निदेश किया था कि स्टेशनों/कोचिंग डिपो/यार्डों पर उत्पन्न अपशिष्ट ईटीपी/एसटीपी को भेजा जाना चाहिए और उसे भूमिगत जल में रिसने नहीं दी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा के अध्ययन से पता चला कि पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए धन की उपलब्धता के बावजूद योजना के अनुसार ईटीपी/एसटीपी को चालू नहीं किया गया था। इसके अलावा, इनमें से कुछ को शुरू किया गया था, परंतु इनमें से अधिकतर क्रियाशील नहीं पाए गए। कुछ ईटीपी/एसटीपी में अपशिष्टों और कीचड़ के संचालन और निस्तारण की प्रक्रिया में कमियां पाई गई थीं। जल पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित नहीं किए गए थे जिससे स्वच्छ जल के प्रयोग को कम करने का उद्देश्य विफल हुआ। कोचिंग डिपो/कार शेड में एसीडब्ल्यूपीके संस्थापन की प्रगति बहुत धीमी पाई गई। परिणामस्वरूप, जल की खपत में कमी लाने का उद्देश्य अप्राप्य रह गया।

ईआरडब्ल्यू निधि के निर्माण का उद्देश्य, ईटीपी/एसटीपी/डब्ल्यूआरपी, खाद संयंत्र और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र उपलब्ध कराने के माध्यम से पर्यावरण को स्वच्छ करने की पहल अधूरी रह गई क्योंकि पर्यावरण से संबंधित कार्यों की धीमी प्रगति/प्रगति न होने के कारण निर्मित निधि का उपयोग नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

- ईटीपी/एसटीपी के गैर-कार्यात्मक रहने के कारण अपशिष्ट जल के निर्वहन से पहले उसके उपचार की वैधानिक आवश्यकता को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं किया जा सका, इसके अलावा, भूजल/जल निकायों के दूषित होने की पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया।
- जल पुनर्चक्रण संयंत्र और स्वचालित कोच वाशिंग संयंत्र प्रदान करने में धीमी प्रगति ने भारतीय रेल जल नीति, 2017 में प्रमुखता से रखे गए ताजा और अपशिष्ट जल के बेहतर प्रबंधन के पहलू पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

4.7 सिफारिश

भारतीय रेल की जल नीति के तहत जल संरक्षण के लिए बनाए गए ईटीपी/एसटीपी, जल पुनर्चक्रण संयंत्र, स्वचालित कोच वाशिंग संयंत्र जैसे कार्यों के शीघ्र पूरा होने की निगरानी के लिए भारतीय रेल को एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।।